प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता}

1.	जिला— भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर थानाः— सीपीएस जयपुर , वर्ष 2022
	प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या <u>976/22</u> दिनांक <u>8/7/2022</u>
2.	(1) अधिनियम — भ्र0नि0 अधिनियम 1988धाराये :13(1)(सी)(डी), 13(2)
	(2) अधिनियम — भ्र0नि0 (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये :— 13(1)(ए), 13(2)
	(3) अधिनियम — भारतीय दण्ड संहिताधाराये :— 409,420,193 व 120बी
	(4) अन्य अधिनियम व धाराये :
3.	(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 157 समय 7:00 Pm
	(ब) अपराध के घटने का दिन :— वर्ष 2012 से 2021 तक
	(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक : समय समय
4.	सूचना की किस्म :— टाईप शुदा
5.	घटनास्थल:- उपनिवेशन तहसील नाचना नम्बर 01 जिला जैसलमेर।
(अ) पु	लिस थाना से दिशा व दूरी — चौकी जैसलमेर से उत्तर—पूरब दिशा 140 किमी0
	(ब) पता :- कार्यालय उपनिवेशन तहसील नाचना नम्बर 01 जिला जैसलमेर
	(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :
6.	परिवादी / सूचनाकर्ता
	(अ) नाम :— सुश्री अलका विश्नोई अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन सतर्कता
	(ब) पिता / पति का नाम :
	(स) जन्म तिथि / वर्ष :
	(द) राष्ट्रीयता : भारतीय
	(य) पाटपोर्ट संख्या : जारी होने की तिथी
	(र) व्यवसाय :
	(ल) पता :– कार्यालय आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर (राज0)
7.	ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :
	(1) श्री सुनीलसिंह पुत्र श्री हरिसिंह उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट मोहनपुर तहसील
	चिड़ावा जिला झुन्झुनूं तत्का० तहसील राजस्व लेखाकार, उपनिवेशन तहसील नाचना नम्बर
	01 जिला जैसलमेर हाल निलम्बित मुख्यालय राजस्व मण्डल अजमेर।
	(2) श्री लाधू सिंह पुत्र श्री श्रीकृष्ण उम्र 57 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 39 खारवालो का बास ग्राम लूणकरणसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय
	अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (प्रशासन) जैसलमेर।
	(3) लाभार्थीगण एवं अन्य।

गरिवारी / क्रमनाकर्ता राज स्त्रजा हेने में तिल्लास का कारण 🗕

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट

महोदय,

~×

निवेदन है कि सुश्री अलका विश्नोई अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेश सतर्कता बीकानेर द्वारा ब्यूरो में जिरये पत्रांक 527 दिनांक 30.11.2021 के संलग्न उपनिवेशन तहसील नाचना नम्बर 01 की जांच रिपोर्ट प्रेषित की गयी। सुश्री अलका विश्नोई अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेश सतर्कता बीकानेर द्वारा फर्जी आंवटन की जांच के संबंध में प्राप्त विकय पंजीकाओं, चालान रिजस्टरो एंव रोकड़ बहियों की जांच करवाने पर पाया गया कि उपनिवेशन विभाग की उपनिवेशन तहसील नाचना नम्बर 01 जिला जैसलमेर में कार्यरत तत्कालीन तहसील राजस्व लेखाकार श्री सुनील सिंह हाल निलम्बित, श्री लाधूसिंह वरिष्ठ सहायक हाल पदस्थापित अति० आयुक्त उपनिवेशन जैसलमेर एंव अन्य कार्मिको द्वारा भूमि आंवटन की किश्ते काश्तकारों के राशि जमा नहीं करवाये जाने के बावजूद विकय पंजीकाओं में उनके खाते में इन्द्राज कर राजकीय राशि का गबन किया है, एवं काश्तकारों की राशि जमा नहीं होते हुए खातेदारी दिलवा कर राजकीय राशि का वुरूपयोग किया है।

इस संबंध में जांच हेतु अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन सतर्कता के आदेश क्रमांक 249 दिनांक 28.06.2021 से श्री अर्जुनलाल सैनी ए०आर०ए०ओ०—ा, श्रीराम मीणा ए०आर०ए०ओ—ा, श्री विकास गहलोत ए०ए०ओ०—ा, श्री नरेन्द्र पुरोहित ए०ए०ओ०—ा, श्री विजय जोशी सहायक प्रशासनिक अधिकारी की टीम गठित कर 2012 से 2021 तक की विकय पंजीकाओं से चालान रिजस्टरों एंव रोकड़ बहियों की सघन जांच की गयी। उक्त जांच में विकय पंजीकाओं में दर्ज प्रविष्टियों में भारी अनियमितता पाई गई। 77 प्रकरणों में 19,80,926/— अक्षरे राशि उन्नीस लाख अस्सी हजार नौ सौ छबीस रूपये का गबन की रिपोर्ट गठित टीम की जांच रिपोर्ट में प्राप्त हुई है। चालान रिजस्टर की जांच से राजकोष में हुई हानि/गबन/अनियमितता के पाये गये प्रकरण निम्नानुसार है :—

- 1. चक जे.डब्ल्यू.एम.—ाा के खाता संख्या 55 में रामिसंह / लखीराम जाट के खाते में बिना जमा के ही अन्य आंवटी की राशि 50,000 रूपये का अंकन किया गया है।
- 2. चक 8 जे.डब्ल्यू.एम.—ा के खाता संख्या 60 में रामिसंह/लखीराम जाट के खाते में बिना जमा के ही अन्य आंवटी प्रेमकंवर/ किशन सिंह की राशि 50,000 रूपये का अंकन किया गया है।
- 3. चक 14 एम.के.डी. के खाता संख्या 51 में सुगनाराम / मानाराम मीणा के खाते में बिना जमा के ही राशि 28,000 रूपये का अंकन किया गया है।
- 4. चक 05 एम.के.डी.—बी के खाता संख्या 40 कंवरलाल / धनराज के खाते में बिना जमा किये ही राशि 1,05,768 रूपये का अंकन किया गया है।
- 5. चक 05 बी. डब्ल्यू. एम.—ए. के खाता संख्या 08 में उमाराम/अलादीराम कुम्हार के खाते में बिना जमा किये ही राशि 13,922 रूपये का अंकन किया गया है।
- 6. चक 08 एम.के.डी. के सेल रिजस्टर में सुनील जादू/जगदीश जादू के खाते में बिना जमा किये ही राशि 27,688 रूपये जमा का अंकन किया गया है।
- 7. चक 05 ए.डब्ल्यू.डी. के खाता संख्या 34 पर चंद्रकंवर / देवीसिंह के वगेरह के खाते में बिना जमा किये ही राशि 39,900. रूपये का अंकन किया गया है।
- 8. चक 12 एम.डी.एम. के खाता संख्या 101 बाबुराम / निम्बाराम मेघवाल के खाते में बिना जमा किये ही राशि 40,000 रूपये का अंकन किया गया है।
- a चक २—४ त्ने द्रब्ल्य दी के खाता संख्या २ में कमला / शैतानसिंह राजपत के खाते में बिना

- 12. चक 74 सी.डब्ल्यू.बी.के खाता संख्या 40 की खींवसिंह / जवाहरसिंह के खाते में बिना जमा किये ही राशि 20,755 रूपये का अंकन किया गया है।
- 13. चक 44 सी.डब्ल्यू.बी. के खाता संख्या 45 हजारी राम/रामलाल विश्नोई के खाते में राशि 1,10,897 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 14. चक 14 एम.के.डी. के खाता संख्या 49 हरीसिंह / देवीसिंह राजपुत के खाते में बिना जमा किये ही राशि 4,520 रूपये का अंकन किया गया है।
- 15. चक 10 एम.के.एम.—1 के खाता संख्या 29 ताराराम/भैराराम भील के खाते में बिना जमा किये ही राशि 1,03,720 रूपये का अंकन किया गया है।
- 16. चक 1 बी.डब्ल्यू.एम. के खाता संख्या 37 ममूडा / जीवनखां के खाते में राशि 14,220 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 17. चक 8 एम.के.एम.—1 के खाता संख्या 51 व 52 हबीब खां/मीरे खां के खाते में राशि 32,613 रूपये का बिना जमा किये ही डबल अंकन किया गया है।
- 18. चक 2 डी.डब्ल्यू.एम. के खाता संख्या 46 गोविन्दराम/भैराराम जाट साकीन बासी के खाते में राशि 26,140 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 19. चक 4 बी.एस.एम. के खाता संख्या 15 में अकबर / नजीर खां के खाते में राशि 5,600 रूपये अधिक का अंकन किया गया है।
- 20. चक 12 जे.डब्ल्यू.एम.—ए के खाता संख्या 18 मुबारक खां / लादूखां भूतपूर्व सैनिक के खाते में राशि 28,640 रूपये बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 21. चक 5 एन.यू.डी. के खाता संख्या 40 महावीर प्रसाद / भजनलाल विश्नोई के खाते में राशि 9,600 रूपये का बिना जमा किये ही डबल अंकन किया गया है।
- 22. चक 1 ए.डब्ल्यू.एम. के खाता संख्या 50 उम्मेदसिंह / उत्तमसिंह के खाते में राशि 12,557 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 23. चक 17 के.डब्ल्यू.डी. के खाता संख्या 22 पीराराम/सांवताराम विश्नोई के खाते में राशि 70,185 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 24. चक 4–5 के.एच.एम. के खाता संख्या 25 सिकंदर / यारूखां के खाते में राशि 32,760 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 25. चक 2 एस.एम. के खाता संख्या 15 में राशि 41,640 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 26. चक 50 सी.डब्ल्यू.बी. सी.ए.डी. से 52–54 सी.डब्ल्यू.बी. के खाता संख्या 2 में राशि 4,950 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।

...**X**

- 27. चक 50 सी.डब्ल्यू.बी के खाता संख्या (अंकित नहीं) में नजरू / सोहनू के खाते में राशि 15,980 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 28. चक 7–9 जे.डब्ल्यू.डी. के खाता संख्या 70 केशर/करीमेखां के खाते में राशि 24,840 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 29. चक 5 बी.डब्ल्यू.एम.—बी. के खाता संख्या 6 नागेखां / मेहराबखां के खाते में राशि 18,690 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 30. चक 8 ए.के.डी. के खाता संख्या 31 खेरदीन / धोधेखां के खाता में राशि 33,977 रूपये का बिना जमा किये ही अंन्य व्यक्ति की राशि का डबल अंकन किया गया है।
- 31. चक 3 बी.डब्ल्यू.एम. के खाता संख्या 58 अलायार/अलार खां के खाते में राशि 19,263 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।

- 34. चक 14 एम.के.एम. 2 के खाता संख्या 38 नेनूखां के खाते में राशि 1,20,818 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 35. चक 44 सी.डब्ल्यू.बी. के खाता संख्या 47 अमरेन्द्र / प्रतापराम विश्नोई के खाते में राशि 76,788 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 36. चक 79 सी.डब्ल्यू.बी.—ए. के खाता संख्या 13 अग्रेज सिंह / अजायबसिंह के खाते में राशि 20,345 रूपये के बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 37. चक 1—2 जे.डब्ल्यू.एम. के खाता संख्या महेन्द्र सिंह / कानसिंह के खाते में राशि 19.000 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 38. चक 2 एम.के.एम.—1 के खाता संख्या 25 स्वरूपसिंह / चैनसिंह के खाते में 13,440 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 39. चक 4 जे.डब्ल्यू.एम. के खाता संख्या 14 में राशि 33,690 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 40. चक 78 सी.डब्ल्यू.बी. के खाता संख्या 19 भंवरी बानो / जलेशाह के खाते में राशि 21,300 का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 41. चक 1 बी.एस.एम. के खाता संख्या 59 पीरा राम / मेघा राम के खाते में राशि 49,000 रूपये बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 42. चक 5 सी.एन.एम. के खाता संख्या 1 मेवाराम / मूलाराम भील के खाते में राशि 57,690 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 43. चक 8 ऐ.के.डी. के खांता संख्या 29 शाहमोहम्मद / धोधेखां के खाते में राशि 5,500 रूपये बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 44. चक 60 सी.डब्ल्यू.बी. के खाता संख्या 38 में राशि 9,293 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 45. चक 2 एस.डब्ल्यू.डी. के खाता संख्या 46 राजी / जमरे खां खाते में राशि 31,644 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 46. चक 14 एन.यू.डी. के खाता संख्या 4 तुलछीराम/रामस्वरूप के खाते में राशि 34,870 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 47. चक 26—27 के.डब्ल्यू.डी. के खाता संख्या 56 मोहिनीदेवी / जीवणराम विश्नोई से प्रीमियम राशि 16,000 रूपये लिये बिना ही खातेदारी प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
- 48. चक 6 ए.के.डी.—बी. के खाता संख्या 28 दोस मौहम्मद/अलादिता के खाते में राशि 51,840 रूपये बिना जमा किये खातेदारी प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है।
- 49. चक 15 एम.के.एम.—2 के खाता संख्या 11 अम्बाराम/नैनाराम कुम्हार से प्रीमियम राशि 28,000 रूपये केशबुक मे बिना जमा किये ही खाते में अंकन किया गया है।
- 50. चक 15 एम.के.एम.—2 के खाता संख्या 12 खीया राम/नैनाराम कुम्हार से प्रीमियम राशि 22,000 रूपये केशबुक में बिना जमा किये ही खाते में अंकन किया गया है।
- 51. चक 4 जे.डब्ल्यू.एम. के खाता संख्या 76 अजीजा / मजीदखां मुसलमान के खाते में राशि 8.400 रूपये बिना जमा के ही डबल अंकन किया गया है।
- 52. चक 3 एन.यू.डी. के खाता संख्या 145 जगमालिसंह / मुकनिसंह के खाते में राशि 8,400 रूपये बिना जमा के ही अंकन किया गया है।
- 53. चक 11, 14,15 ,16 के. डब्ल्यू.डी. के खाता संख्या 7 बिहारीलाल दत्तक पुत्र हीरा के खाते में राशि 2,860 बिना जमा के ही अंकन किया गया है।

- 56. चक 11 एम.के.डी. 11 के खाता संख्या 37 में चालान संख्या 28 दिनांक 21.03.2012 के खाते में राशि 4,200 रूपये बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 57. चक 7,8,9,10 के.डब्ल्यू.डी. के खाता संख्या 59 श्रीमती कमली / हीरूराम के खाते में राशि 9,600 रूपये का बिना जमा के ही डबल अंकन किया गया है।
- 58. चक 5 बी.के.एम. खाता संख्या 33 पदमसिंह / अमोलख के खाते में राशि 13,533 रूपये का बिना अधिक जमा के ही समायोजन किया गया है।
- 59. चक 5 आर.डब्ल्यू.एम. खाता संख्या (अंकित नहीं) चेतरात/श्योदयाल अहीर के खाते में राशि 5,490 रूपये का बिना जमा किये ही अंकन किया गया है।
- 60. चक 6 आर.डब्ल्यू.एम. खाता संख्या 44 किशोर सिंह राजपुत के खाते में राशि 1,000 रूपये का बिना जमा के ही अंकन किया गया है।
- 61. चक 28 जे.डब्ल्यू.डी. के खाता संख्या 41 एलची / भगवाना राम विश्नोई के खाते में राशि 2,482 रूपये का बिना जमा के ही अंकन किया गया है।
- 62. चक 3 ए.के.डी.—बी. के खाता संख्या 23 शिशपाल / बुद्धाराम विश्नोई के खाते में राशि 300 रूपये का बिना जमा के ही अंकन किया गया है।
- 63. चक 1 ए.के.डी.—ए के खाता संख्या 42 मघसिंह / हुक्म सिंह राजपूत के खाते में राशि 360 का बिना जमा के ही अधिक अंकन किया गया है।
- 64. चक 8 एम.के.एम.—ा—ए के खाता संख्या 50 बालसिंह / अर्जुनसिंह के खाता में राशि 200 का बिना जमा के ही अधिक अंकन किया गया है।
- 65. चक 12 एम.के.डी. के खाता संख्या 40 हबीब खां/लालदीन खां के खाते में बिना सक्षम स्वीकृति एवं आदेश के ही राशि 4,000 रूपये का समायोजन किया गया है।
- 66. चक 2 ए.के.डी.—ए के खाता संख्या 91 व 92 जगदीश/सीता राम माली के खाते में राशि 36 रूपये का बिना जमा के अधिक अंकन किया गया है।
- 67. चक 4 जे.डब्ल्यू.एम. के खाता संख्या 11 बिना सक्षम स्वीकृति एवं आदेश के खाते मे राशि 4,260 का समायोजन किया गया है।
- 68. चक 10 एम.के.एम.—ा के खाता संख्या 28 बीरबलराम / गोरधनराम भील के खाते में राशि 100 रूपये का अधिक अंकन किया गया है।
- 69. चक 45 सी.डब्ल्यू.बी. के खाता संख्या 8 अमरसिंह / गुगनराम के खाते में राशि 40 रूपये का बिना जमा के ही अधिक अंकन किया गया है।
- 70. चक 12 एम.के.डी. के खाता संख्या 40 के खाते में राशि 4,000 रूपये का बिना जमा के ही अंकन किया गया है।

<u>,</u>

- 71. चक 13 के.डब्ल्यू.डी. के खाता संख्या 37 ज्ञानोदेवी / किसनाराम के खाते में राशि 4,440 रूपये का बिना जमा के ही अंकन किया गया है।
- 72. चक 16 के.डब्ल्यू.डी. के खाता संख्या 24 भगवाना राम/रिड़मलराम विश्नोई के खाते में राशि 8 का बिना जमा के ही अधिक अंकन किया गया है।
- 73. चक 12 के.डब्ल्यू.डी. के खाता संख्या 1 बलबीरसिंह / जसवंतसिंह के खाते में राशि 9654, का बिना जमा के ही अंकन किया गया है।
- 74. चक 12 के.डब्ल्यू.डी. के खाता संख्या 7 झण्डू / रसीला के खाते में राशि 2000 रूपये का बिना जमा के ही अंकन किया गया है।
- 75. चक 26 जे.डब्ल्यू.डी. के खाता संख्या 26 भगवानिसंह/लखिसंह राजपूत के खाते में अधिक जमा की गई राशि 23,451 रूपये के लिए स्पष्ट टिप्पणी अंकित नहीं गई है।

फर्जी आंवटन के आदेशो एवं उक्त विर्णित वित्तिय अनियमितताओं / गबन के मामलो में श्री सुनीलिसेंह तहसील राजस्व लेखाकार उपनिवेशन तहसील नाचना नम्बर 01 को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश कमांक प.11(33)विजा / राम / 2021 / 1356 दिनांक 05.03.2021 से निलिम्बत कर मुख्यालय राजस्व मण्डल अजमेर किया जा चुका है। उक्तानुसार वर्णित जांच प्रतिवेदन में 77 प्रकरणों में निहित राजस्व अपवंचना राशि 19,80,926 / — अक्षरे उन्नीस लाख अस्सी हजार नो सौ छब्बीस रूपये एंव ब्याज के लिए श्री सुनीलिसेंह राजस्व लेखाकार, श्री लाधूसिंह वरिष्ठ सहायक व अन्य कार्मिक उत्तरदायी हैं। साथ ही लाभान्वित काश्तकारों की भी मिलीभगत है।

उक्त जांच रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजो की जांच से पाया गया कि कार्यालय उपनिवेशन तहसील नाचना नम्बर 1 के श्री सुनीलसिंह राजस्व लेखाकार, श्री लाधूसिंह वरिष्ठ सहायक व अन्य कार्मिक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए उक्त 77 लाभार्थिगण कास्तकारों से मिलीभगत कर रिकॉर्ड में कांटछांट एवं फेरबदल कर गलत तथ्य अंकित कर राशि 19,80,926 रूपये का गबन कर राजकोष को हानि कारित करने का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है।

अतः (1) श्री सुनीलसिंह पुत्र श्री हरिसिंह उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट मोहनपुर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं तत्का0 तहसील राजस्व लेखाकार, उपनिवेशन तहसील नाचना नम्बर 01 जिला जैसलमेर हाल निलम्बित मुख्यालय राजस्व मण्डल अजमेर, (2) श्री लाधू सिंह पुत्र श्री श्रीकृष्ण उम्र 57 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 39 खारवालो का बास ग्राम लूणकरणसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (प्रशासन) जैसलमेर, (3) लाभार्थीगण एवं अन्य के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 13(1)(ए) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 409, 420, 193 व 120 बी भा.दं.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन प्रेषित है।

भवदीय

(अनेराज)

उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

जैसलमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अन्नराज, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 13(1) (सी) (डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 13(1)(ए), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 409, 420, 193 व 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री सुनील सिंह, तत्का. तहसील राजस्व लेखाकार, उपनिवेशन तहसील नाचना, नम्बर 01, जिला जैसलमेर हाल निलम्बित मुख्यालय राजस्व मण्डल, अजमेर, 2. श्री लाधू सिंह, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन (प्रशासन) जैसलमेर 3. लाभार्थीगण एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 276/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भुष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 2420-26 दिनांक 8.7.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
- 2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 3. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर।
- 4. आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर।
- 5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
- 6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर।
- 7. अति. पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(आर.नं.9043)।